इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2023—पौष 23, शक 1944

# भाग ४

## विषय—सूची

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन | (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

## भाग ४ (क)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

## भाग ४ (ग)

## अंतिम नियम

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्र. एफ–2–6–2019–सात–शा–7.– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) के साथ पठित धारा 240 और धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (बासठ) के साथ पठित धारा 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विविध नियम, 2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

## संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 74 का लोप किया जाए।

2. नियम 75 में,–

(1) नियम 75 को उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपनियम (1) में, शब्द 'ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की सिफारिश पर तहसीलदार', के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत, पटवारी की रिपोर्ट पर" स्थापित किए जाएं।

(2) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्–

"(2) कोई व्यक्ति जो नियम 73 में विर्निदिष्ट कोई वृक्ष काटना या गिराना चाहता है, यदि ऐसा वृक्ष–

(क) उसके खाते में खड़ा है, तो ग्राम पंचायत को;

(ख) दखलरहित भूमि में खड़ा है, तो कलक्टर को;

अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन प्ररूप सत्रह में करेगा।"।

3. नियम 76 में परन्तुक में शब्द" ग्राम पंचायत स्तरीय समिति की इसके सम्यक रूप से बुलाए गए सम्मिलन में पारित विधिमान्य संकल्प के आधार पर की गई सिफारिश पर" का लोप किया जाए।

4. नियम 79 में,–

(1) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) नियम 75 के अधीन ग्राम पंचायत या नियम 76 के अधीन कलक्टर या तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अभिवहन पास जारी करने के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।"

(2) विद्यमान उपनियम (2) को उपनियम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।"।

5. नियम 79 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"79–क. अपील.– इन नियमों के अध्याय छह के भाग–ग के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी को होगी:

परन्तु उपरोक्त उपबंधों के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।"।

6. नियम 91 का लोप किया जाए।

7. नियम 92 में, शब्द "प्ररूप–सत्रह में लिखित में तीन प्रतियों में तहसीलदार को आवेदन" के स्थान पर, शब्द "प्ररूप–सत्रह में ग्राम पंचायत को इलेक्ट्रॉनिक आवेदन" स्थापित किए जाएं।

8. नियम 93 में,–

(1) शीर्ष से स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"ग्राम पंचायत का आदेश।"।

(2) उपनियम (1) का लोप किया जाए;

(3) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि इमारती लकड़ी के वृक्षों में से, जिन्हें काटने हेतु आवेदन किया गया है, उनमें से कौन से लोक हित में या कौन से मिट्टी का कटाव रोकने के लिए अनुरक्षित रखे जाना अपेक्षित हैं।"

(4) उप–नियम (3) में, शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर, शब्द "ग्राम पंचायत, पटवारी की रिपोर्ट पर" स्थापित किए जाएं।

9. नियम 97 में,–

(1) उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) नियम 93 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अभिवहन पास जारी करने के लिए मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के अधीन सक्षम प्राधिकारी की ओर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।"।

(2) उप–नियम (2) को उपनियम (3) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।

10. नियम 98 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"98क. अपील.– इन नियमों के अध्याय छह के भाग–ङ के उपबंधों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए गए किसी आदेश के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी को होगी:

परन्तु उपरोक्त उपबंधों के अधीन प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी।"।

11. प्ररूप सत्रह के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररूप—सत्रह

(नियम 75(2), तथा नियम 92 देखिए)

**मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020**

**[सुसंगत बॉक्स में (√) चिन्हित करें]**

1. मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 की उपधारा (1) के अधीन नियम 73 में उल्लेखित कतिपय वृक्षों को काटे जाने के लिये अनुज्ञा। ☐
2. मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 241 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी के वृक्ष को काटकर गिराने की अनुज्ञा। ☐

**प्रति,**

**ग्राम पंचायत ....................................**

**ग्राम.....................तहसील ............. जिला ..............**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **आवेदक की जानकारी—** | |
| | (1) आवेदक का नाम (प्रथम, मध्य एवं अंतिम) | |
| | (2) माता/पिता/पति का नाम | |
| | (3) आधार कार्ड (वैकल्पिक) | |
| | (4) समग्र आईडी | |
| | (5) वर्तमान निवास का पता | |
| | (6) मोबाइल फोन नंबर | |
| | (7) ई—मेल पता (यदि कोई हो) | |
| **2.** | **जिसके खाते में वृक्ष काटे जाना है उसकी जानकारी—** | |
| | (1) भूमिस्वामी का नाम | |
| | (2) क्या भूमिस्वामी आदिम जनजाति वर्ग का व्यक्ति है? | |
| | (3) ग्राम का नाम | |
| | (4) पटवारी हल्का कमांक | |
| | (5) सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्याक/भूखंड संख्यांक | |
| | (6) क्षेत्रफल | |
| | (7) पूर्वोक्त सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखंड संख्यांक में खड़े वृक्षों की प्रजातिवार कुल संख्या | |
| | (8) गिराए जाने वाले वृक्षों की संख्या | |

3. In rule 76, in the proviso, words "on the recommendation of Gram Panchayat Level Committee on the basis of a valid resolution passed in its duly convened meeting" shall be omitted.

4. In rule 79,-

(1) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(2) A copy of order passed by the Gram Panchayat under rule 75 or by the Collector or Tahsildar under rule 76 shall be sent electronically for issuing a transit pass to the Competent Authority under the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.

(2) Existing sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3).".

5. After rule 79, the following rule shall be inserted, namely:-

"79-A. Appeal.-

An appeal shall lie to the Sub-Divisional Officer against any order passed by the Gram Panchayat under the provisions of part C of chapter VI of these rules:

Provided that no second appeal shall lie against the order passed in first appeal under the aforesaid provisions.",

6. Rule 91 shall be omitted.

7. In rule 92, for the words "in writing to the Tahsildar an application in triplicate in Form-XVII", the words "an

No. F-2-6-2019-VII-7 Bhopal, the 10th January 2023

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (Lxi) and clause (Lxii) of sub-section (2) of section 258 read with section 240 and section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 10th June, 2022, namely:-

**AMENDMENTS**

In the said rules,-

1. Rule 74 shall be omitted.

2. In rule 75,-

(1) Rule 75 shall be renumbered as sub-rule (1) and in sub-rule (1) as so renumbered, for the words "Tahsildar on the recommendation of Gram Panchayat Level Committee", the words "Gram Panchayat on the report of Patwari" shall be substituted.

(2) After sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2) Any person desirous of cutting or feeling of any tree specified in rule 73 shall apply online for permission in Form-XVII, if such tree is standing-

(a) In his holding, to the Gram Panchayat;

(b) In unoccupied land, to the Collector.".

| | | |
|---|---|---|
| 3. | क्रेता का नाम पूर्ण विशिष्टियों तथा पता (यदि वृक्षकाय को विक्रय किया जाना आशयित हो) | |
| 4. | गंतव्य स्थान जहाँ तक काटी गई सामग्री का परिवहन या तो स्वयं या क्रेता द्वारा किया जाना है | |
| 5. | परिवहन का मार्ग | |

स्थान : ..................

तारीखः ..................

आवेदक के हस्ताक्षर।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**चन्द्रशेखर वालिम्बे,** अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023

क्र. एफ–2–6–2019–सात–शा–7.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–6–2019–सात–शा–7, दिनांक 10 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**चन्द्रशेखर वालिम्बे,** अपर सचिव.

application electronically to the Gram Panchayat in Form-XVII" shall be substituted.

8. In rule 93,-

(1) For the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Order of Gram Panchayat.".

(2) sub-rule (1) shall be omitted.

(3) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(2) The Gram Panchayat shall ascertain which timber trees from among those applied for cutting are required to be retained in public interest or for preventing erosion of soil.".

(4) in sub-rule (3), for the word "Tahsildar", the words "Gram Panchayat on the report of Patwari" shall be substituted.

9. In rule 97,-

(1) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(2) A copy of order passed by the Gram Panchayat under rule 93 shall be sent electronically for issuing a Transit Pass to the Competent Authority under the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000.".

(2) sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3).

10. After rule 98, the following rule shall be inserted, namely :-

"98-A. Appeal.-

An appeal shall lie to the Sub-Divisional Officer against any order passed by the Gram Panchayat under the provisions of part-E of chapter VI of these rules:

Provided that no second appeal shall lie against the order passed in first appeal under the aforesaid provisions.".

11. For Form XVII, the following Form shall be substituted, namely :-

**"FORM-XVII**

**[see rule 75 (2) and rule 92]**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Vividh) Niyam, 2020**

[Tick (√) the relevant box]

1. Permission required under sub-section (1) of section 240 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 for cutting of certain trees mentioned in rule 73 ☐
2. Permission required for felling nationalized timber tree under sub-section (2) of section 241 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ☐

To,

The Gram Panchayat,

Village........................Tahsil.............District............

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Details of applicant-** | |
| | (1) Name of applicant (first, middle and last) | |
| | (2) Mother's /Father's/Husband's name | |
| | (3) Aadhar Card (option) | |
| | (4) Samagra ID No. | |
| | (5) Present residential address | |
| | (6) Mobile Phone No. | |
| | (7) E-mail address (if any) | |
| 2. | **Details of over whose holding the felling is to be done** | |
| | (1) Name of Bhumiswami | |
| | (2) Whether the Bhumiswami is a person from aboriginal tribe? | |
| | (3) Name of the Village | |
| | (4) Patwari Halka No. | |
| | (5) Survey No./Block No./Plot No. | |
| | (6) Area | |
| | (7) Total number of trees standing in the aforesaid Survey Number/Block Number/Plot Number species-wise<br>(8) Number of tree to be felled | |
| 3. | Name, full particulars and address of the purchaser (if the corpus of tree is intended to he sold) | |
| 4. | Destination to which felled material is to be transported either personally or by the purchaser | |
| 5. | Route of transport | |

Place................

Date............... Signature of applicant.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.